राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन, जयपुर

क्रमांकः एफ.वी.( )डीएएच/एलपीएम/पशुमित्र/बजट घोषणा/23–24/5729 दिनांकः 24.05.2023

पशुमित्र योजना

कार्य योजना

बजट घोषणा 2023–24 के बिन्दु संख्या–185 के अन्तर्गत पशुपालकों को डोर स्टेप पर पशुपालन विभाग की विभिन्न सुविधाओं यथा टैगिंग, टीकाकरण, बीमा, पशुओं की नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान, गर्भ परीक्षण आदि से लाभान्वित करवाने के उद्देश्य से प्रदेश में **पशुमित्र योजना** प्रारंभ की जा रही है। इस हेतु प्रदेश में 5000 बेरोजगार युवा प्रशिक्षित पशुधन सहायक/पशु चिकित्सकों को कार्य निष्पादन अनुसार निर्धारित मानदेय का परिलाभ दिया जाएगा। जिन्हें योजनान्तर्गत पशुमित्र के नाम से पहचाना जावेगा।

1. पशुमित्र के लिये पात्रता

1.1 पशुमित्र योजना के लिये इच्छुक आवेदक (**प्रशिक्षित बेरोजगार पशुधन सहायक/पशु चिकित्सक**) राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा।

1.2 **पशुमित्र (पशु चिकित्सक)** अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम बी.वी.एससी एण्ड ए.एच. में उपाधि व राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

1.3 **पशुमित्र (पशुधन सहायक)** अभ्यर्थी का राजूवास से पंजीकृत/मान्यता प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा किया होना अनिवार्य होगा।

1.4 बेरोजगार पशुधन सहायक, जो कि पूर्व से पशुधन सेवा केन्द्र संचालित कर रहे हैं, इस योजना के लिये पात्र होंगे।

2. पशुमित्र के लिये चयन प्रक्रिया

2.1 पशुमित्र का निर्धारित कार्य क्षेत्र वह क्षेत्र होगा जहॉ वर्तमान में कोई विभागीय पशु चिकित्सा संस्था क्रियाशील/स्वीकृत नहीं है। वर्तमान में विभाग में स्वीकृत पशु चिकित्सा संस्थाओं का जिलेवार/ संस्थावार विवरण पशुपालन विभाग की वेबसाईट (https://animalhusbandry.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है।

2.2 पशुमित्र के लिये आवेदक को निर्धारित **प्रपत्र–अ** में, जिस जिले/स्थान पर वह काम करना चाहता है, के लिये उसी जिले के संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग /उपनिदेशक, कुचामन सिटी को आवेदन करना होगा।

2.3 आवेदन के साथ राजस्थान के मूल निवासी होने के प्रमाणपत्र की प्रति व अपनी शैक्षणिक योग्यता के तहत कक्षा 12 की बोर्ड की मार्कशीट की प्रति, पशु चिकित्सक को बी.वी.एससी एण्ड ए.एच. में उपाधि/मार्कशीट की प्रति व अन्य

पशु चिकित्सा परिषद में पंजीकृत होने के प्रमाणपत्र की प्रति, पशुधन सहायक को राजूवास से पंजीकृत/मान्यता प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा की मार्कशीट की प्रति संलग्न करनी अनिवार्य होगी।

2.4 पशुमित्र के चयन में जिले में जिस गॉव के लिये आवेदन प्राप्त हुआ है, उसी गॉव के निवासी को प्राथमिकता दी जावेगी।

2.5 एक स्थान के लिये एक से अधिक आवेदन आने की स्थिति में चयन हेतु 50 प्रतिशत सीनियर हायर सैकण्डरी (12 वी कक्षा) एवं 50 प्रतिशत अंक पशुधन सहायक डिप्लोमा / बी.वी.एससी एण्ड ए.एच. में प्राप्त अंक की औसत से मेरिट के आधार पर चयन किया जावेगा।

2.6 पशुमित्र के चयन हेतु एक ही स्थान पर पशु चिकित्सक/पशुधन सहायक आवेदक हैं तो पशुमित्र के लिये पशु चिकित्सक को वरीयता दी जायेगी।

2.7 समान प्राप्तांकों वाले आवेदकों में से चयन का आधार उनकी जन्मतिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले आवेदक का चयन किया जावेगा।

2.8 जिला संयुक्त निदेशक/उप निदेशक कुचामन सिटी की अध्यक्षता में निम्नानुसार गठित कमेटी द्वारा चयन प्रक्रिया सम्पन्न की जावेगी।

- उपनिदेशक, बहुउददेशीय पशु चिकित्सालय – सदस्य
- उपनिदेशक, पशुधन विकास/जिला कार्यालय का वरिष्ठतम वरि. पशु चिकित्सा अधिकारी –सदस्य

2.9 आवेदक द्वारा अपने आवेदन में कार्य स्थल के चयन हेतु, पशुपालन विभाग में स्वीकृत पशु चिकित्सा संस्थाओं के अतिरिक्त स्थान/क्षेत्र के तीन विकल्प देने होंगे जिसमें कार्य क्षेत्र का निर्धारण जिला संयुक्त निदेशक द्वारा गठित कमेटी द्वारा किया जावेगा।

2.10 विकल्प स्थान पर रिक्त स्थान उपलब्ध नहीं होने के क्रम में आपसी सहमति से कार्य क्षेत्र का निर्धारण जिला संयुक्त निदेशक एवं नोडल अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

2.11 पशुमित्र की जिलेवार संख्या का निर्धारण निदेशालय स्तर पर किया जावेगा।

2.12 चयनित पशुमित्र (पशु चिकित्सक)/पशुमित्र (पशुधन सहायक) अभ्यार्थियों की जिलेवार/ग्रामवार/शैक्षणिक योग्यतावार सूची का अनुमोदन निदेशक पशुपालन से करवाया जाना अनिवार्य होगा।

2.13 निदेशालय से अनुमोदित सूची प्राप्त होने पर संबंधित जिला संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक कुचामन सिटी द्वारा पशुमित्र के चयन के आदेश **प्रपत्र–ब** में जारी किये जावेंगे।

3. पशुमित्र के कर्तव्य

3.1 यह योजना पशुपालकों को डोर स्टेप पर विभागीय योजनाओं का लाभ पहुॅचाने के लिये संचालित की जा रही है। जो कि पूर्णतः स्वरोजगार के लिए है। अतः पूर्ण सेवा भाव के साथ पशुपालकों के हितार्थ कार्य संपादित किये जाने अपेक्षित हें। इस योजना अन्तर्गत आवेदक भविष्य में राजकीय सेवा का हकदार नहीं होगा ना ही इस तरह का दावा पेश करेगा।

4. पशुमित्र के स्तर से किये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण

अ. पशुमित्र (पशु चिकित्सक)

1. पशुओं की टैगिंग एवं इनाफ पोर्टल पर एन्ट्री।
2. कृत्रिम गर्भाधान, गर्भ परीक्षण उपरांत गर्भधारण एवं वत्स उत्पादन की इनाफ पोर्टल पर एन्ट्री।
3. पशुओं में टीकाकरण एवं इनाफ एन्ट्री ।
4. पशु चिकित्सा शिविरों / मेलों आदि में आवश्यकता होने पर सहयोग।
5. पशुपालक से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के आवेदन भरवाना।
6. पशु बीमा के लिये स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करना।
7. किये गये समस्त कार्यों का रिकार्ड संधारण (इनाफ एन्ट्री के अतिरिक्त)
8. पशुगणना कार्य में आवश्यकता अनुसार सहयोग।
9. पशुधन उत्पादन सर्वेक्षण कार्य में आवश्यकता अनुसार सहयोग।
10. विभागीय योजनाओं के प्रचार प्रसार कार्य में आवश्यकता अनुसार सहयोग।
11. रोग प्रकोप/आकस्मिक स्थिति में पशु चिकित्सा कार्य में आवश्यकता अनुसार सहयोग।
12. समय समय पर विभागीय योजनानुरूप उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशन में कार्य संपादित करना।

ब. पशुमित्र (पशुधन सहायक)

1. पशुओं की टैगिंग एवं इनाफ पोर्टल पर एन्ट्री।
2. कृत्रिम गर्भाधान, गर्भ परीक्षण उपरांत गर्भधारण एवं वत्स उत्पादन की इनाफ पोर्टल पर एन्ट्री।
3. पशुओं में टीकाकरण एवं इनाफ एन्ट्री ।
4. पशु चिकित्सा शिविरों/मेलों आदि में आवश्यकता होने पर सहयोग।
5. पशुपालक से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के आवेदन भरवाना।
6. किये गये समस्त कार्यों का रिकार्ड संधारण (इनाफ एन्ट्री के अतिरिक्त)
7. पशुगणना कार्य में आवश्यकता अनुसार सहयोग।
8. पशुधन उत्पादन सर्वेक्षण कार्य में आवश्यकता अनुसार सहयोग।
9. विभागीय योजनाओं के प्रचार प्रसार कार्य में आवश्यकता अनुसार सहयोग।
10. रोग प्रकोप/ आकस्मिक स्थिति में प्राथमिक उपचार में आवश्यकता अनुसार सहयोग।
11. समय समय पर विभागीय योजनानुरूप उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशन में कार्य संपादित करना।

5. प्रतिभूति राशि (सिक्योरिटी) तथा शपथ पत्र

5.1 पशुमित्र को चयन आदेश प्राप्त होने के पश्चात, चयनित पशु मित्र को संबंधित संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक कुचामन सिटी के माध्यम से जिला स्तर पर राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के खाते में रू. 5,000/– की एक मुश्त राशि प्रतिभूति (सिक्योरिटी) के रूप में जमा करवायी जानी अनिवार्य होगी।

5.2 पशुमित्र को कार्य प्रारंभ करने से पूर्व 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिशिल स्टाम्प पेपर पर प्रपत्र–स अनुरूप शपथ पत्र देना होगा।

5.3 योजना में कार्य को स्वेच्छा से छोड़ने पर नियमानुसार पूर्व में लिखित में संबंधित नोडल अधिकारी को सूचना देनी अपेक्षित होगी। योजना में चयनित पशुमित्र को प्रतिभूति राशि वापसी से संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा जारी अबकाया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके आधार पर निर्धारित प्रकिया अपनाते हुये प्रतिभूति राशि जिला संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक कुचामन सिटी, के माध्यम से राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के स्तर से बिना ब्याज के लौटाई जायेगी।

5.4 इनाफ एन्ट्री के लिये पशु मित्र को विलेज मेपिंग के साथ अपनी आई डी पशुपालन विभाग/राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड द्वारा इनाफ पोर्टल पर जनरेट की जावेगी। जिसके लिये पशुमित्र को संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क स्थापित करना होगा।

6. प्रशिक्षण

पशुमित्र को चयन पश्चात संबंधित जिले के नोडल अधिकारी के स्तर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जावेगा। जिसमें विभागीय योजनाओं की जानकारी, उनके कार्य, रिकॉर्ड संधारण, इनाफ पर एन्ट्री, विभागीय प्रपत्रों की जानकारी, प्रगति प्रतिवेदन के संबंध में जानकारी व योजना अन्तर्गत पशुमित्र द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्य के भुगतान की जानकारी दी जावेगी।

7. कार्य अनुभव प्रमाण पत्र

पशुमित्र योजना में जितनी कार्य अवधि तक कार्य किया जावेगा, उतनी अवधि का संतोषप्रद कार्य किये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र जिला स्तर से दिया जा सकेगा।

8. विभाग द्वारा देयता

8.1 पशुपालन विभाग द्वारा इनाफ टैग, ए.आई. स्लीव/शीथ, रोग प्रतिरोधक टीके एवं विभाग द्वारा निर्धारित किये गये संसाधन/प्रपत्र आदि निःशुल्क दिये जायेंगे।

8.2 फ्रोजन सीमन (अधिकतम 50 स्ट्रॉ) की प्रगति इनाफ पोर्टल पर अपलोड करने के उपरान्त ही फ्रोजन सीमन उपलब्ध करवाया जायेगा।

8.3 तरल नत्रजन गैस विभाग द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवायी जायेगी।

8.4 औषधियॉ उपलब्ध नही करवाई जावेंगी।

8.5 उपयोग में आने वाले संसाधन विभागीय दिशा–निर्देशानुसार उपलब्ध कराये जायेंगे।

9. पशुमित्र द्वारा स्वयं के संसाधन की आवश्यकता

9.1 पशुमित्र को कृत्रिम गर्भाधान हेतु पोर्टेबेल तरल नत्रजन जार (क्षमता 3 लीटर), कृत्रिम गर्भाधान किट एवं रिकार्ड संधारण के लिये आवश्यक स्टेशनरी/रजिस्टर/ पत्रावली आदि की व्यवस्था स्वयं के स्तर से करनी होगी।

9.2 रिकॉर्ड संधारण के लिये नोडल अधिकारी के स्तर पर विभाग से निर्धारित प्रपत्र उपलब्ध करवाये जावेंगे।

10. मानदेय का भुगतान

10.1 पशुमित्र को आवंटित कार्यों के निष्पादन एवं सत्यापन के आधार पर पशुपालन विभाग द्वारा भारत सरकार / राज्य सरकार की योजनाओं में वर्तमान में निम्नानुसार राशि का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। यह राशि जो समय समय पर परिवर्तनीय है।

10.2 योजना अन्तर्गत भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार निष्पति आधारित प्रोत्साहन स्वरूप (Performance Based Incentives) राशि का भुगतान किया जावेगा। पशुमित्र को इसके अतिरिक्त कोई मानदेय देय नही होगा।

क्र. सं.	पशुमित्र द्वारा किये जाने वाले कार्य	पशुमित्र को देय मानदेय (राशि रूपये में)		कुल राशि
		केन्द्र सरकार की दर	राज्य सरकार की दर पर निष्पति आधारित प्रोत्साहन स्वरूप (Performance Based Incentives) राशि	
	टेगिंग एवं ईनाफ सोफ्ट पर इन्द्राज			
	• **छोटे पशु**	2.50	0	2.50
	• **बडे पशु**	3.50	0	3.50
1	कृत्रिम गर्भाधान	50	50	100
2	गर्भधारण			
	• **प्रथम बार कृत्रिम गर्भाधान से**	150	0	150
	• **द्वितीय बार कृत्रिम गर्भाधान से**	100	0	100
3	वत्स उल्पादन	100	0	100
4	एफएमडी टीकाकरण			
	• **छोटे पशु**	3	5	8
	बडे पशु एवं शूकरवंश	5	5	10
5	एचएस/बीक्यू टीकाकरण	0	5	5
6	पीपीआर/ई.टी.वी/ शीपपोक्स टीकाकरण	0	3	3
7	किसान केडिट कार्ड जारी करवाना	0	25	25
8	पशु चिकित्सा शिविर आयोजन में सहयोग (प्रति दिवस)	0	300	300
9	पशु बीमा में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करना (पशु चिकित्सक)	50	0	50

11. कार्य समाप्ति /स्थान परिवर्तन

11.1 विभागीय हित में कार्य नही करने, प्रगति विवरण समय पर नही देने, निर्धारित प्रपत्र में रिकॉर्ड संधारण/इन्द्राज नहीं करने, अनुचित या अवांछनीय गतिविधियों में सम्मिलित होने, पशुपालक से उक्त निर्धारित गतिविधियों के लिये राशि वसूल करने पर पशुमित्र को विभाग की इस योजना से वंचित कर दिया जावेगा।

11.2 पशुमित्र के भौतिक कार्यों एवं इनाफ पोर्टल संबंधित उपलब्धियों की समीक्षा प्रत्येक तीन माह में की जावेगी, जिसके आधार पर यदि कर्तव्यहीनता प्रदर्शित होती है तो पशुमित्र को विभाग की इस योजना से वंचित कर दिया जावेगा।

11.3 चयनित स्थान पर भविष्य में विभागीय संस्था क्रियाशील होने पर कार्य स्थल को आपसी सहमति के आधार पर उसी जिले में परिवर्तित किया जा सकेगा।

11.4 जिला परिवर्तन के लिये पूर्व के जिले से अबकाया प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात पृथक से नये जिले में नवीन प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा।

12. योजना / मार्गदर्शिका में परिवर्तन

12.1 पशुमित्र के स्थान परिवर्तन/योजना को बंद करने का निर्णय किसी भी समय लिया जा सकेगा।

12.2 उक्त कार्य करते समय सेवा दोष प्रमाणित होने पर पशुपालन विभाग का कोई उत्तरदायित्व नही होगा एवं समस्त जिम्मेदारी पशुमित्र की स्वयं की रहेगी।

12.3 उक्त योजना की मार्गदर्शिका में आवश्यकता अनुसार परिवर्ततन करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, पशुपालन विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

यह कार्य योजना सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(डा0 भवानी सिंह राठौड़)
निदेशक

कमांकः एफ.वी.( )डीएएच/एलपीएम/पशुमित्र/बजट घोषणा/23–24/5730-5779 दिनांकः 24.05.2023

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय पशुपालन मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्यकार्यकारी अधिकारी, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग राजस्थान।
6. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय पशुपालन, जयपुर।
7. समस्त संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग राजस्थान।
8. समस्त उपनिदेशक पशुपालन विभाग राजस्थान, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

(डा0 भवानी सिंह राठौड़)
निदेशक

प्रपत्र– अ

(आवेदन पत्र)

सेवा में,
श्रीमान जिला संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक कुचामनसिटी,
पशुपालन विभाग,
.....

पासपोर्ट साईज फोटो

विषयः–पशुपालन विभाग में संचालित पशुमित्र योजना में चयन हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं पशुपालन विभाग की पशुमित्र योजना में कार्य करना चाहता हूँ जिसके लिए निम्नानुसार कार्य स्थान के 3 विकल्प दे रहा हूँ।

विकल्प

क्रम सं.	पशुमित्र के लिये गॉव का नाम/स्थान	पंचायत समिति	तहसील	विधानसभा क्षेत्र	जिला
1					
2					
3					

कृपया उपरोक्त में से किसी एक स्थान पर प्राथमिकता अनुसार मेरा चयन पशुमित्र के रूप में करवाने का श्रम करावें। इस संबंध में मेरी शैक्षणिक योग्यता (कक्षा 12वीं तथा पशुपालन डिप्लोमा/पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान कोर्स की मार्कशीट) की प्रति, राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद में पंजीकरण की प्रति (पशु चिकित्सक के लिये), राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र, अपनी बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति तथा आधार कार्ड की प्रति संलग्न कर रहा हूँ।

मेरा चयन पशुमित्र पर होने के उपरांत मैं नियमानुसार प्रतिभूति राशि एवं शपथ पत्र उपलब्ध करवा दूंगा तथा विभागीय मार्गदर्शिका अनुसार कार्य संपादित करूँगा।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

दिनांकः

भवदीय

आवेदक का नाम/
हस्ताक्षर / पता/ मोबाईल
नंबर

प्रपत्र– ब

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला संयुक्त निदेशक/उप निदेशक कुचामनसिटी,
पशुपालन विभाग.....

क्रमांक दिनांक

श्री .....पुत्र श्री.....
निवासी.....
जिला.....राज्य.....

विषयः–पशुपालन विभाग में संचालित पशुमित्र योजना बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि बजट घोषणा वर्ष 2023–24 के बिन्दु सं. 185 की अनुपालना में पशुपालन विभाग की पशुमित्र योजना में आपका .....(स्थान) तहसील..... .....जिला..... के लिये अस्थाई रूप से चयन किया गया है। आप आगामी 10 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को निर्धारित प्रपत्र में मूल शपथपत्र प्रेषित करें एवं राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के खाते में प्रतिभूति राशि जमा करवाने के लिये रूपये 5000/– जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा आपका यह चयन निरस्त कर अन्य आवेदक को इस स्थान के लिये चयनित कर लिया जावेगा।

उक्त प्रतिभूति राशि की जमा रसीद एवं शपथ पत्र की प्रति के साथ पशुमित्र कार्य संपादन के लिये प्रथम श्रेणी पशुचिकित्सालय/पशुचिकित्सालय...../नोडल अधिकारी .....से अंविलंब सम्पर्क कर नियमानुसार/विभागीय मार्गदर्शिका अनुसार पशुमित्र योजना अन्तर्गत कार्य संपादित करें।

हस्ताक्षर/नाम
जिला संयुक्त निदेशक/उप निदेशक
कुचामनसिटी,
पशुपालन विभाग.....

क्रमांक दिनांक
प्रतिलिपि

1. उपनिदेशक, ब्लॉक वेटेरीनरी हेल्थ ऑफिस/ वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, नोडल अधिकारी, प्रथम श्रेणी पशुचिकित्सालय/पशुचिकित्सालय.....जिला ....।
2. प्रभारी पशुचिकित्सालय .....जिला .....।

जिला संयुक्त निदेशक/उप निदेशक कुचामनसिटी,
पशुपालन विभाग.....

राजस्थान सरकार
पशुपालन निदेशालय, जयपुर

क्रमांकः एफ.वी.5(1) विस्तार/विज्ञापन/2023/5372 दिनांक : 30.5.2023

पशु मित्र योजनान्तर्गत आवेदन आमन्त्रित

पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ पशुपालकों के द्वार तक पहुँचाने के लिए राज्य के समस्त जिलों में कुल 5000 युवा बेरोजगार पशु चिकित्सकों एवं पशुधन सहायकों को नियत मानदेय पर रखे जाने हेतु 'पशु मित्र योजना' के तहत आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

इच्छुक अभ्यर्थी विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की अवधि में अपना आवेदन सम्बन्धित जिले के जिला स्तरीय कार्यालय संयुक्त निदेशक / उप निदेशक, पशुपालन विभाग, कुचामन सिटी (नागौर) में प्रस्तुत कर सकते है।

योजना की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन का प्रारूप पशुपालन विभाग की वेबसाईट https://animalhusbandry.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

DIPR/C/7775/23

निदेशक